



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8 बी/राज०/०६/१७/२०१५/एफ.सी./706

दिनांक: 15.12.2017

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/6988/2014

विषय : Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.

सन्दर्भ : अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक- एफ14(Road)/2014/एफ०सी०ए०/प्रमुवसं/4331, दिनांक- 22.11.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 04.08.2016 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें।

1. Cross sectional map of the proposed road alongwith the details of area calculation (chainagwise) may be submitted.
2. Justification for proposed width in area calculation may be provided.
3. Original toposheet for CA and land to be diverted may be submitted.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. विशेष सचिव (वन), राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, बारां, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० वि०, एन.एच. बारां, राजस्थान।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)